NEWS CLIPPING: 18.10.2019

HINDUSTAN

एश्लान इंस्टीट्यूट की संबद्धता खत्म

फरीदाबाद | वरिष्ठ संवाददाता

वाईएमसीए ने एश्लान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग (ईआईटी) की संबद्धता समाप्त कर दिया है। यह निर्णय एश्लान इंस्टीट्यूट की ओर से विश्वविद्यालय के संबद्धता अध्यादेश में निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण लिया गया है। वाईएमसीए के प्रवक्ता ने जारी बयान में यह जानकारी दी। विश्वविद्यालय के इस फैसले से कॉलेज और परिजनों को करीब एक हजार छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी है।

दिसंबर में होगी छात्रों की परीक्षा : एश्लान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी में करीब एक हजार से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। प्रथम वर्ष में करीब 400 छात्रों ने दाखिला लिया है। इन सभी छात्रों का परीक्षा दिसंबर में होनी है। प्रबंधन का दावा है कि यहां पढ़ाई कर रहे भी छात्रों का शेड्यूल के अनुसार परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। परीक्षा शुरू होने में अभी समय है इससे पहले मामले को निपटाया दिया जाएगा।

फैसले को बताया गलतः एश्लान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी के उपाध्यक्ष राजेंद्र बंसल ने बताया कि वाईएमसीए की ओर से यह निर्णय लेना गलत है। वाईएमसीए को अगर मान्यता रद्द करना था तो सत्र में बीच में नहीं करना चाहिए था। उन्हें अगले सत्र में करना चाहिए था।

15 मई के बाद वाईएमसीए की ओर से नोटिस भेजने का कोई औचित्य नही बनता है। उनका कहना है कि अभी मामला कोट में विचाराधीन है। ऐसे में यह निर्णय लेना उचित नहीं है।

कारण बताओ नोटिस जारी

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 15 मई के बाद एश्लान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के निदेशक और प्राचार्य को कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने संतोष जनक जवाब नहीं दिया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय के संबद्धता अध्यादेश में निर्धारित संबद्धता की शर्तों का पालन अनिवार्य है। इन शर्तों को प्रत्येक वर्ष मानना है। आरोप है कि एश्लान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ने निरीक्षण करने में सहयोग नहीं दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन उसका जवाब संतोष जनक नहीं मिला।

NEWS CLIPPING: 18.10.2019

NAVBHARAT TIMES

खास खबरें

एश्लॉन संस्थान का आवेदन रद्द

■ एनबीटी न्यूज, फरीदाबाद

जेसी बोस (वाईएमसीए) यूनिवर्सिटी ने नहर पार के एश्लॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एफिलेशन रद्द कर दिया है। इंस्टीट्यूट का 2019 में शुरू हुआ सत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटिड नहीं होगा। जिन छात्रों ने इस सत्र में इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया है, उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। इंस्टीट्यूट की तरफ से एफिलेशन ऑर्डिनेंस की शर्तें पूरी नहीं की गई, जिसके चलते उनका एफिलेशन रद्द किया गया है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किए गए इन आदेशों में स्पष्ट कहा है कि एश्लॉन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का एफिलेशन सत्र2019-20 से मान्य नहीं होगा।

NEWS CLIPPING: 18.10.2019

PUNJAB KESARI

एश्लॉन इंस्टीट्यूट की संबद्धता समाप्त

फरीदाबाद, 17 अक्तूबर (ब्यूरो): जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद ने एश्लॉन इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग (ईआईटी), फरीदाबाद की अंतरिम संबद्धता को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय एश्लॉन इंस्टीट्यूट द्वारा विश्वविद्यालय के संबद्धता अध्यादेश में निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण लिया गया है, जिसमें अध्यादेश में निर्धारित निरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग न देना शामिल है।

जेसी बोस विश्वविद्यालय में निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण लिया गया निर्णय

विश्वविद्यालय द्वारा एश्लॉन इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग, फरीदाबाद के निदेशक-प्राचार्य को जारी आदेशों में कहा गया है कि प्रत्येक संबद्ध संस्थान को विश्वविद्यालय के संबद्धता अध्यादेश में निर्धारित संबद्धता की शर्तों का पालन अनिवार्य है और उक्त अध्यादेश के अनुसार निर्धारित निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी संस्थान में शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतरिम संबद्धता को वर्ष-दर-वर्ष जारी रखा जाता है। जबकि एश्लॉन इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग, फरीदाबाद ने शुरूआत में ही विश्वविद्यालय को निरीक्षण करने में सहयोग नहीं दिया। इसके उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस सहित विभिन्न पत्रचार के बावजूद एश्लॉन इंस्टीट्यूट शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए अपने अनंतिम संबद्धता को जारी रखने के लिए निरीक्षण करवाने में असफल रहा जोकि अनंतिम संबद्धता को जारी रखने के लिए अनिवार्य था। एश्लॉन इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया 'कारण बताओ नोटिस' का जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बावजूद, विश्वविद्यालय द्वारा एश्लॉन इंस्टीट्यूट को निरीक्षण का अंतिम अवसर प्रदान किया गया, लेकिन एश्लॉन इंस्टीट्यूट इसका लाभ उठाने से भी वंचित रहा। इस प्रकार, विश्वविद्यालय के लिए एश्लॉन इंस्टीट्यूट को वर्ष 2017 में संबद्धता अध्यादेश के अंतर्गत प्रदान किये गये अधिकार वापिस लेना आवश्यक हो गया था। विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि एश्लॉन इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग (ईआईटी), फरीदाबाद अकादमिक वर्ष 2019-20 से विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं है

पंजाब केसरी ई-पेपर
Fri, 18 October 2019
https://epaper.punjabkesari.in/c/44799884